भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1863

04 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक

1863 श्री देरेक ओब्राईनः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सभी राज्यों में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 4 के संबंध में रिपोर्ट किए गए उल्लंघनों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध तथा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 का उल्लंघन करने वाले लोगों से जुर्माने/चालान के रूप में वसूल की गई कुल धनराशि कितनी है, तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (सीओटीपीए), 2003 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। इस संबंध में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी करता है। इस मंत्रालय ने विशिष्ट "तंबाकू नियंत्रण कानून 2024 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कानून प्रवर्तकों के लिए दिशानिर्देश" भी जारी किए हैं।

सीओटीपीए, 2003 की धारा 4 के अंतर्गत भारत सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। धारा 4 का अनुपालन न करने की स्थिति में, इस अधिनियम की धारा 21 के तहत 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

(ख) और (ग) एनटीसीपी प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सीओटीपीए, 2003 की धारा 4 के तहत रिपोर्ट किए गए उल्लंघनों और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जुर्माना/चालान के रूप में वसूल की गई कुल राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण, **अनुलग्नक** में संलग्न हैं।

दिनांक 04.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1863 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	धारा 4 [सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध का उल्लंघन]	
		चालान की संख्या	जुर्माने के रूप में वसूल की गई राशि राशिर राशि (रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20	4000
2	आंध्र प्रदेश	55850	6595364
3	अरुणाचल प्रदेश	54	10900
4	असम	0	0
5	बिहार	176	21217
6	चंडीगढ़	0	0
7	छत्तीसगढ़	7662	1085570
8	दिल्ली	574	254250
9	गोवा	30719	4644500
10	गुजरात	31276	3524455
11	हरियाणा	4665	238915
12	हिमाचल प्रदेश	28547	2904331
13	जम्मू संभाग	3518	317365
14	झारखंड	819	222800
15	कर्नाटक	159041	14074746
16	कश्मीर संभाग	5285	257335
17	केरल	298	63400
18	लद्दाख	204	41700
19	लक्षद्वीप	80	16000
20	मध्य प्रदेश	8050	691688
21	महाराष्ट्र	14420	1561595
22	मणिपुर	0	0
23	मेघालय	8071	800370
24	मिजोरम	470	58320
25	नागालैंड	18	1050
26	ओडिशा	1108	171875
27	पुडुचेरी	0	0
28	पंजाब	13728	582467
29	राजस्थान	99789	3261696
30	सिक्किम	335	105800
31	तमिलनाडु	47941	6957500
32	तेलंगाना	0	0
33	दादरा और नगर हवेली तथा दमन	166	33200
34	त्रिपुरा	65	7280
35	उत्तर प्रदेश	11835	1064806
36	उत्तराखंड	40545	2213873
37	पश्चिम बंगाल	1147	138382
	कुल	**576476**	**51926750**
